an>

Title: Need to include Rajasthani Language in the Eighth Schedule of the Constitution.

श्री चन्द्र प्रकाश जोशी (चित्तौड़गढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदया, भारत में प्राचीन काल से अनेक भाषाएँ हैं और उनमें ज्ञान-विज्ञान का विपुल भंडार है। मैं राजस्थान से हूँ। भारत सरकार अनेक मौकों पर अनेक भाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल करने का काम करती है। लेकिन राजस्थान भाषा आज भी प्रतीक्षा सूची में है। भाषाएँ हमारी सांस्कृतिक परंपराओं की संवाहक हैं, हमारे संस्कारों की संवाहक हैं। इसलिए मैं मांग करता हूँ, चूंकि राजस्थानी भाषा से ही राजस्थान बना है और आज भी पूरे प्रदेशवासियों की एक ही मांग है कि राजस्थानी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए। आठ करोड़ से ज्यादा लोग, वे चाहे देश में हों, प्रदेश में हों या दुनिया में कहीं हों, वे राजस्थानी भाषा बोलते हैं। अमेरिका में व्हाइट हाउस में जिन 100 भाषाओं को मान्यता दी गयी है, उनमें राजस्थानी भाषा भी एक है। नेपाल में, नेपाल की संसद में राजस्थानी भाषा को मान्यता मिली है। वहां के एक कैबिनेट मंत्री ने राजस्थानी भाषा में शपथ ली। इसलिए मैं कहना चाहता हूं राइट टू एजुकेशन में यही एक बात होती है कि बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उनकी मूल भाषा में दी जाए, ताकि बच्चा उस शिक्षा को जल्दी ग्रहण कर सके। इसलिए आज मेरी मांग है, चाहे मीरा के भजन हों, चाहे महाराणा प्रताप ने लड़ाई लड़ी हो, उन सभी का संवाद राजस्थानी भाषा में होने के कारण वे पूरी दुनिया में छा सके।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : लम्बा-चौड़ा भाषण नहीं देना है।

श्री चन्द्र प्रकाश जोशी : मैडम, आईएएस एवं आईपीएस में आज राजस्थान के जो बच्चे पिछड़ रहे हैं, उसके पीछे यही कारण है कि राजस्थानी भाषा के अंक उसमें नहीं जुड़ पाते हैं। इसलिए मैं आपेक माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि राजस्थानी भाषा को आठवीं सूची में शामिल किया जाए।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री सुधीर गुप्ता, श्री सी.आर.चौधरी, श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया, श्री रोड़मल नागर, श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, श्री केशव प्रसाद मौर्य और श्री रामचरण बोहरा को श्री चन्द्र प्रकाश जोशी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।